# अल्पकालीन टेण्डर सूचना/फार्म

1. फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन व श्रमक ल्याण विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
2. फर्म का पैन कार्ड अनिवार्य है।
3. फर्म को किसी सरकारी/स्वायत्तशासी संगठन में कम से कम 5 वर्ष का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. निम्नांकित सूचनायें फर्म द्वारा भरी जाय।

| क0सं0 | पद | अनुभव | प्रतिमाह भुगतान राशि(ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 सहित) | सर्विस चार्ज | सर्विस टैक्स | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लिपिक (01) | स्नातक तथा टैली/कम्प्यूटर पर कार्य का अनुभव | | | | |
| 2 | विद्युत मिस्त्री (01) | आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र तथा 02 वर्ष का अनुभव | | | | |
| 3 | प्लम्बर (01) | आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र तथा 02 वर्ष का अनुभव | | | | |
| 4 | स्वीपर कम लेबर (08) | अनुभव | | | | |
| 5 | सहायक अटेण्डेन्ट (01) | पढ़ने लिखने का ज्ञान | | | | |
| | | | | | कुल योग रू0 | |

5. ठेके पर लगाये गये किसी भी श्रमिक को साप्ताहिक तथा सार्वजनिक अवकाश पर भी आवश्यकता के अनुसार कभी भी बुलाया जा सकता है। फर्म को सफाई एवं अन्य श्रमिक कार्य हेतु न्यूनतम 08 स्वीपर कम लेबर एवं 01 कुशल विद्युत अनुरक्षण कर्मी व 01 कुशल प्लम्बर, 01 लिपिक एवं 01 सहायक (अटेण्डेन्ट) कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।
6. रू0 10,000/– अर्निस्ट मनी टेण्डर के साथ जमा करनी होगी। जो राष्ट्रीय बचत पत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीद जो निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में बन्धक होंगे। प्राप्त सभी टेण्डरों में से अस्वीकृत सभी टेण्डरों की अर्निस्ट मनी को बन्धक मुक्त करते हुये तत्काल वापस कर दिया जायेगा। जिस फर्म को उपरोक्त श्रमिक आपूर्ति करने का निर्णय होता है उसकके सिक्योरिटी मनी में समायोजित किया जा सकता है।

7- एक वर्ष के अनुमानित भुगतान के 10 % की दर से सिक्योरिटी मनी आदेश मिलने पर फर्म को एकमुस्त जमा करना होगा जो एक वर्ष के संतोषजनक सेवा पर वापस कर दिया जायेगा।

8- फर्म द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिटेड गत 02 वर्षों की बैलेन्स शीट प्रस्तुत करनी होगी।

9- फर्म को हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जोकि रू0 10.00 लाख से अधिक हो।

10- संस्थान प्रशासन को किसी भी अनिश्चितता की स्थिति में बिना कोई कारण बताये टेण्डर प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

11- विवाद की स्थिति में वाद कानपुर नगर में दाखिल होगा।

12- चयनित फर्म के संतोषजनक कार्य न करने की स्थिति में 24 घंटे की नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।

13- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखते हुये चयनित फर्म को अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा तथा फर्म को कर्मचारियों के भुगतान पर नियमानुसार ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 व अन्य देयों को विभिन्न विभागों में अपने स्तर से भुगतान करना होगा।

14- टेण्डर की कीमत रू0 500/– होगी।

15- फर्म द्वारा प्रदत्त कम सं0–4 पर अंकित मजदूरों को प्राथमिक कार्य सभी प्रकार की सफाई (शौचालय, सीवर, झाडू, पोंछा आदि) होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर आने वाले कार्य जैसे सामान शिफ्ट, लोडिंग–अनलोडिंग तथा अन्य मजदूरी कार्य भी करने होंगे। कार्य करने से इनकार करने की स्थिति में निदेशक को कान्ट्रैक्ट बीच में ही निरस्त करने का अधिकार होगा।

16- कोई भी कर्मी यदि चोरी या किसी भी अनैतिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी फर्म की होगी।

17- यदि कोई कर्मी कार्य दिवस मेंकार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त या हताहत होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

18- कर्मियों को 08 घंटे की सेवायें प्रत्येक कार्यदिवस में प्रदान करनी होगी।

19- टेण्डर प्राप्त करने व जमा करने की अंतिम 26.12.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक।

20- श्रम कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित उम्र से कम उम्र के श्रमिक संस्थान में कार्य पर नहीं लगाये जायेंगे।

21- टेण्डर खोले जाने का स्थान व दिनांक 26.12.2015 मध्याह्न 12:00 बजे निदेशक कक्ष।

निदेशक

**उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,**
**11/208, सूटरगंज, कानपुर।**

संस्थान में साफ–सफाई/श्रम एवं अन्य अनुरक्षण कार्यों हेतु इच्छुक एवं योग्य फर्मों से दिनांक 26–12–2015 प्रातः 11:00 बजे तक टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। संस्थान में टेण्डर दिनांक 26–12–2015 को मध्याह्न 12:00 बजे खोले जायेंगे। टेण्डर फार्म व शर्तें कार्यालय से रू0 500/–जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। टेण्डर का पूर्ण विवरण संस्थान की वेबसाइट www.uptti.ac.in पर उपलब्ध है।

निदेशक